INDIA NON JUDICIAL

RUPEES

Rs.20000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

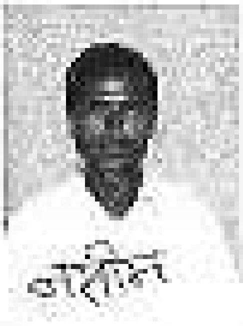

**विक्रय विलेख**

| | | |
|---|---|---|
| प्रतिफल की धनराशि | — | रू0 15,07,000/— |
| बाजार मूल्य | — | रू0 3,52,700/— |
| अदा किये गये स्टाम्प शुल्क | — | रू0 1,86,700/— |

1. भूमि का प्रकार — कृषि
2. परगना — बिजनौर
3. ग्राम — देवमल
4. सम्पत्ति का विवरण — भूमि खसरा संख्या 67 ...

[illegible]

उप पंजीयक [illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

2

0.7036 हेक्टेयर, खसरा संख्या 64 रकबा 0.1580 हे0, खसरा संख्या 65 रकबा 0.0620 हे0, खसरा संख्या 53 रकबा 0.073 हे0 कुल रकबा 1.000 हे0 का 1/6 भाग अर्थात 0.1666 हे0, खसरा संख्या 68 रकबा 0.201 हे0 का 1/2 कुल रकबा 0.0626 हे0 इस प्रकार कुल विक्रीत रकबा 0.2171 हे0 स्थित ग्राम [illegible] परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ।

6. नापन की ईकाई — हेक्टेयर

आवक

दिनांक

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



8.1 सम्पत्ति का क्षेत्रफल — 0.2171 हेक्टेयर

7. स्थल की स्थिति — सुल्तानपुर रोड व आवासीय सड़क से लगभग 200 मीटर से अधिक

8. सम्पत्ति का प्रकार — कृषि

9. पेड़ों की स्थिति — नहीं।

10. बोरिंग / कुआं आदि — कुछ भी नहीं है।

चौहद्दी खसरा नंबर 87

| | | |
|---|---|---|
| उत्तर | : | खसरा नं0-2 22 |
| दक्षिण | : | खसरा नं0-69,70 |
| पूरब | : | खसरा नं0- 86 |
| पश्चिम | : | खसरा नं0-19,20 |

[illegible]

RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

301167



चौहद्दी खसरा नं0 54

| | | |
|---|---|---|
| उत्तर | : | खसरा नं0–52,53 |
| दक्षिण | : | खसरा नं0–55 |
| पूरब | : | खसरा नं0–ग्राम सीमा [illegible] |
| पश्चिम | : | खसरा नं0– 56, 57 |

चौहद्दी खसरा नं0 86

| | | |
|---|---|---|
| उत्तर | : | खसरा नं0– 55 |
| दक्षिण | : | खसरा नं0– 87 |
| पूरब | : | खसरा नं0– 56, 57 |
| पश्चिम | : | खसरा नं0– 56 |

चौहद्दी खसरा नं0 53

| | | |
|---|---|---|
| उत्तर | : | खसरा नं0–50 |
| दक्षिण | : | खसरा नं0– 54 |
| पूरब | : | खसरा नं0–ग्राम सीमा [illegible] |

[illegible]

[illegible] ........ [illegible]

[illegible] ........ [illegible]

[illegible] ........ [illegible]

[illegible] ........

[illegible] [illegible]

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

RUPEES 20000

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

301169

-3-

पश्चिम : खसरा नं0– 62

चौहद्दी खसरा नं0 58

उत्तर : खसरा नं0– 07

दक्षिण : खसरा नं0– 01, 02, 03

पूरब : खसरा नं0– 06, 57

पश्चिम : खसरा नं0– 05, 58

प्रथम पक्ष की संख्या– 1 | द्वितीय पक्ष की संख्या– 1

| विक्रेता का विवरण | : | क्रेता का विवरण |
|---|---|---|
| मो0 नवीन पुत्र नन्हकू, निवासी– बैडागढ़, परगना बिलारी, तहसील व जिला | - | अक्षत प्रापर्टीज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0 रजिस्टर्ड आफिस 115, अंसल भवन, 16, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई |

[illegible]

[illegible] ........................

[illegible] ........................

[illegible] ........................

[illegible] ........................

[illegible] [illegible]

RUPEES

20000

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

201169
-1 [illegible] 93

[illegible]

-3-

| | |
|---|---|
| लखनऊ। | दिल्ली 110001, वर्तमान द्वारा तृतीय पक्ष वाई०एम०सी०ए० बिल्डिंग, 13, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ द्वारा अधिकृत अधिकारी श्री अम्बिका प्रसाद द्विवेदी पुत्र श्री बेनी प्रसाद द्विवेदी वर्तमान व स्थायी पता तृतीय पक्ष वाई०एम०सी०ए० बिल्डिंग, 13, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ |
| व्यवसाय– कृषि | व्यवसाय– नौकरी |

यह विक्रय विलेख मो० नसीम पुत्र नन्दकू, निवासी– देवानगर, कस्बा बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ जिन्हें

[illegible]

[illegible]

[illegible]

RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



आगे विक्रेता कहा गया है एवम् संकल्प प्रापर्टीज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि० रजिस्टर्ड आफिस 105, अंसल भवन, 16, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली–110001, वर्तमान पता तृतीय तल वाईएमसीए बिल्डिंग, 13, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी श्री अम्बिका प्रसाद द्विवेदी पुत्र श्री बेनी प्रसाद द्विवेदी वर्तमान व स्थायी पता तृतीय तल वाईएमसीए बिल्डिंग, 13, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ जिन्हे आगे क्रेता कहा गया है के मध्य निष्पादित किया गया।

सक्कल बमोजिम नक्कल प्रमाणित

मिति ..........

पद ..........

नाम ..........

सही ..........

प्र. अधिकृत     प्रमुख अधिकृत

RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



यह कि विक्रेता भूमि खसरा संख्या 87 रकबा 0.706 हेक्टेयर, खसरा संख्या 84 रकबा 0.166 हे0, खसरा संख्या 86 रकबा 0.063 हे0, खसरा संख्या 83 रकबा 0.072 हे0 कुल रकबा 1.009 हे0 का 1/6 भाग अर्थात 0.1666 हे0, खसरा संख्या 88 रकबा 0.101 हे0 का 1/2 कुल रकबा 0.0505 हे0 इस प्रकार कुल विक्रीत रकबा 0.2171 हे0 स्थित ग्राम [illegible] परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ का मालिक, काबिज व काबिज है तथा उपरोक्त सम्पत्ति पत्रावली खाता खतौनी क्रम संख्या 00054, 00379 के अनुसार भूमि विक्रेता के नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है

[illegible]

RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

-४-

और विक्रेता के नाम का अंकन दस्तावेज राजस्व अभिलेखों में हो गया है और विक्रेता को उक्त भूमि को विक्रय करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। विक्रेता अपना सम्पूर्ण हिस्सा क्रेता को इस विक्रय विलेख द्वारा विक्रय कर रहा है विक्रेता उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि के मालिक, काबिज व काबिज है एवं वर्तमान समय में उक्त भूमि कृषि भूमि है और उक्त भूमि सरकारी भूमि का हिस्सा नहीं है तथा उक्त भूमि सीलिंग तथा कस्टडी की भूमि नहीं है। यह कि विक्रेता यह घोषित करता है कि उपरोक्त वर्णित भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त एवं पाक व साफ है तथा विक्रेता ने इसे इस विक्रय के पूर्व कहीं बय,

आदर्श कोषागार, लखनऊ
दिनांक ..............................
शुल्क .............................. रुपये
नाम ..............................
द्वारा ..............................

मु० कोषाधिकारी        सहा० कोषाधिकारी

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



हिबा, गिरवी या अनुबन्धित इत्यादि नहीं किया है। विक्रेता ने उक्त भूमि पर भूमि ऋण या अन्य प्रकार का कोई ऋण नहीं लिया है। यदि कोई ऐसा ऋण भविष्य में निकलता है तो उसके जिम्मेदार विक्रेता व उसके वारिसान व विधिक उत्तराधिकारी होंगे। उपरोक्त भूमि या उसका कोई भाग किसी न्यायालय या सरकारी कार्यालय के अन्तर्गत विवाद का वस्तु विषय नहीं है, न ही कुर्क इत्यादि है। विक्रेता के अलावा उक्त भूमि में किसी अन्य व्यक्ति का स्वत्व, हक व दावा इत्यादि नहीं है, एवं विक्रेता को उक्त विक्रय अन्तरण करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतएव उपरोक्त सम्पत्ति के फलस्वरूप

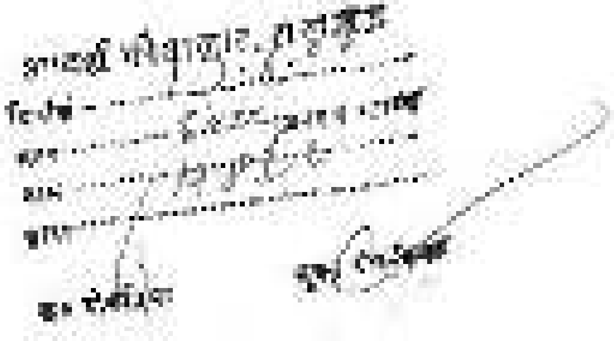

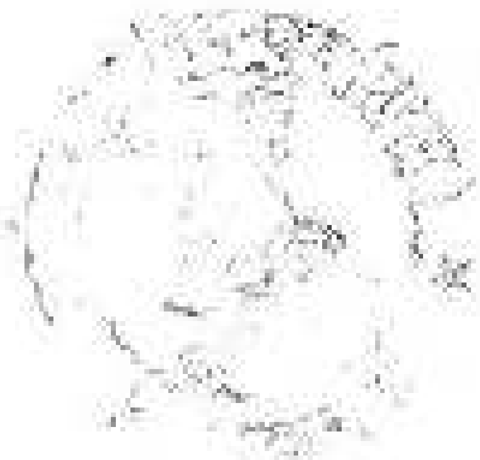

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 464224



कुल विक्रय मूल्य रू0 18,87,000/- के प्रतिफल में जिसका उपरोक्त क्रेता द्वारा विक्रेता को इस विलेख के अन्त में दी गई अनुसूची में वर्णित विधि के अनुसार भुगतान कर दिया गया है एवं जिसकी प्राप्ति को विक्रेता यहाँ स्वीकार करते हैं, तदानुसार उक्त विक्रेता उक्त क्रेता के हक में उपरोक्त वर्णित भूमि, जिसका विवरण इस विक्रय विलेख के अन्त में अनुसूची के अन्तर्गत दिया गया है, को [illegible] बेच दिया है, एवं विक्रेता ने विक्रय शुदा भूमि का मौके पर कब्जा क्रेता को बखूबी दखल दिया गया है। अब उक्त आराजी पर विक्रेता तथा उसके वारिसान का कोई अधिकार नहीं है। विक्रेता ने

[illegible]

मिति ...... [illegible] ......

[illegible] ...... [illegible] ......

[illegible] ...... [illegible] ......

[illegible] ......

[illegible] [illegible]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



विक्रय शुदा सम्पत्ति को अपने स्वामित्व के समस्त अधिकारों के साथ पूर्णतया व हमेशा के लिए क्रेता को हस्तान्तरित कर दिया है। अब क्रेता विक्रय शुदा सम्पत्ति एवं उसके प्रत्येक भाग को अपनी एकमात्र स्वामित्व व अधिकार व कब्जे में सम्पत्ति के रूप में धारण एवं उपभोग व उपयोग करेगी। विक्रेता व उनके वारिसान उसमें किसी प्रकार की अड़चन बाधा नहीं डाल सकेंगे एवं न ही कोई मांग कर सकेंगे और यदि विक्रय शुदा सम्पत्ति अथवा कोई भाग विक्रेता के स्वामित्व में त्रुटि के कारण या कानूनी अड़चन या कानूनी त्रुटि के कारण क्रेता या उसके वारिसान निष्प्रयोज्यमान इत्यादि से उसको

[illegible]
[illegible] ........................
[illegible] ........................ [illegible]
[illegible] ........................
[illegible] ........................

[illegible]        [illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



सरकारी अथवा ग्राम अधिग्रहीत नहीं की गयी है और न ही प्रस्तावित है ।

यह कि उक्त विक्रय शुदा सम्पत्ति की दाखिल खारिज राजस्व अभिलेखों में उसके नाम दर्ज करा लें तो विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी और यह कि इस विक्रय विलेख के पूर्व का अगर कोई बकाया किसी प्रकार का भार इस सम्पत्ति पर होगा तो उसको विक्रेता भुगतान व वहन करेगा, विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी ।

[illegible]

[illegible] ........ [illegible]

[illegible] ........ [illegible]

[illegible] ........ [illegible]

[illegible] ........

[illegible] [illegible]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



का अधिकार या स्वत्व से निकल जाये तो क्रेता उसके वारिसान, निष्पादकगण इत्यादि को यह हक होगा कि वह अपना समस्त नुकसान मय हर्जा व खर्चा, विक्रेता की जात, अचल सम्पत्ति से जरिये अदालत वसूल कर ले। उस स्थिति में विक्रेता एवं उसके वारिसान हर्जा व खर्चा देने हेतु बाध्य होगा ।

यह कि विक्रेता यह भी घोषित करता है कि उक्त भूमि लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ तथा उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ एवं अन्य किसी भी सरकारी अथवा गैर

[illegible]

[illegible]

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

X 870130



भूमि में कोई पेड़ इमारत आदि नहीं है तथा किसी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधियां नहीं चल रही है व कोई नलकूप, कुआं भी नहीं है, तथा 200 मी० के अवस्थान में कोई निर्माण नहीं है विक्रीत भूमि किसी लिंक मार्ग, राजमार्ग व जनपदीय मार्ग पर स्थित नहीं है। विक्रीत भूमि सुजानपुर रोड से व अमर शहीद पथ से लगभग 200 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। विक्रेता अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के सदस्य नहीं है। इस विक्रय विलेख के निबन्धन का समस्त व्यय क्रेता द्वारा वहन किया गया है।

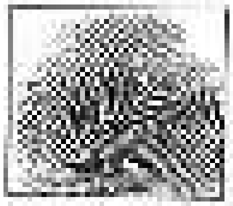

मनोज कुमार श्रीवास्तव
उप निबंधक (प्रथम)
लखनऊ

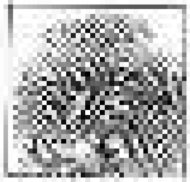

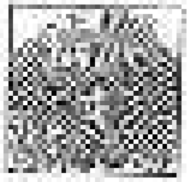

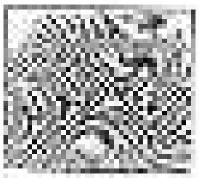

मनोज कुमार श्रीवास्तव
उप निबंधक (प्रथम)
लखनऊ

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

X 870129



यह कि उपरोक्त खसरा नम्बर ग्राम पंचायत अर्धनगरीय क्षेत्र के सामान्य ग्राम के अन्तर्गत आता है इसलिए निर्धारित सर्किल रेट रु० 12,50,000/- प्रति हेक्टेयर है चूंकि भूमि का विक्रय कम्पनी के पक्ष में हो रहा है इसलिए 30 प्रति० की वृद्धि करते हुए रु० 16,25,000/- के हिसाब से विक्रीत भूमि 0.2171 हेक्टेयर की मालियत रु० 3,52,788/- होती है तथा विक्रय मूल्य, भूमि की मालियत मूल्य से अधिक है इसलिए नियमानुसार विक्रय मूल्य पर ही रु० 1,80,700/- स्टाम्प शुल्क अदा किया जा रहा है। यह कि उपरोक्त विक्रीत भूमि कृषि के प्रयोजन के लिए क्रय की जा रही है।

[illegible]

[illegible] ........ [illegible]

[illegible] ........ [illegible]

[illegible] ........ [illegible]

[illegible] ..............................

[illegible] [illegible]

लिहाजा यह विक्रय पत्र विक्रेता ने क्रेता के पक्ष में स्वस्थ चित्त मन से बिना किसी जोर दबाव के समक्ष गवाहान लिख दिया ताकि सनद रहे और आवश्यकता पड़ने पर काम आवे।

**परिशिष्ट: भुगतान विवरण**

1. विक्रेता को रु० 18,87,000/- द्वारा चेक संख्या- [illegible] दिनांकित 17.06.2005 पंजाब नेशनल बैंक, इन्दिरानगर लखनऊ क्रेता से प्राप्त हुए।

इस प्रकार विक्रेता को कुल विक्रय मूल्य रु० 18,87,000/- (रूपया अठारह लाख सत्तासी हजार मात्र) क्रेता से प्राप्त हुए जिसकी प्राप्ति विक्रेता स्वीकार करते हैं तथा अब कोई भी धनराशि विक्रेता का क्रेता से लेना शेष नहीं है।

लखनऊ
दिनांक : 17.06.2005
गवाह :

[signature]
विक्रेता

1. [illegible]

[signature]
क्रेता

2. [illegible]

टाईपकर्ता
[signature]
(खुर्शीद खाँ)
सिविल कोर्ट, लखनऊ

मसविदाकर्ता
[signature]
(विपिन रमन सिंह)
एडवोकेट

[illegible]

Registration No [illegible] Year : [illegible] Book No. [illegible]

[illegible]

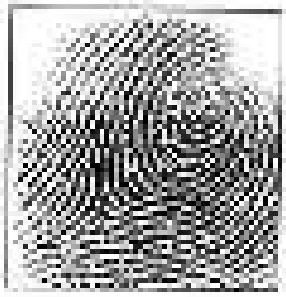

[illegible]

Registration No. [illegible] Year [illegible] Book No. I

0201 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

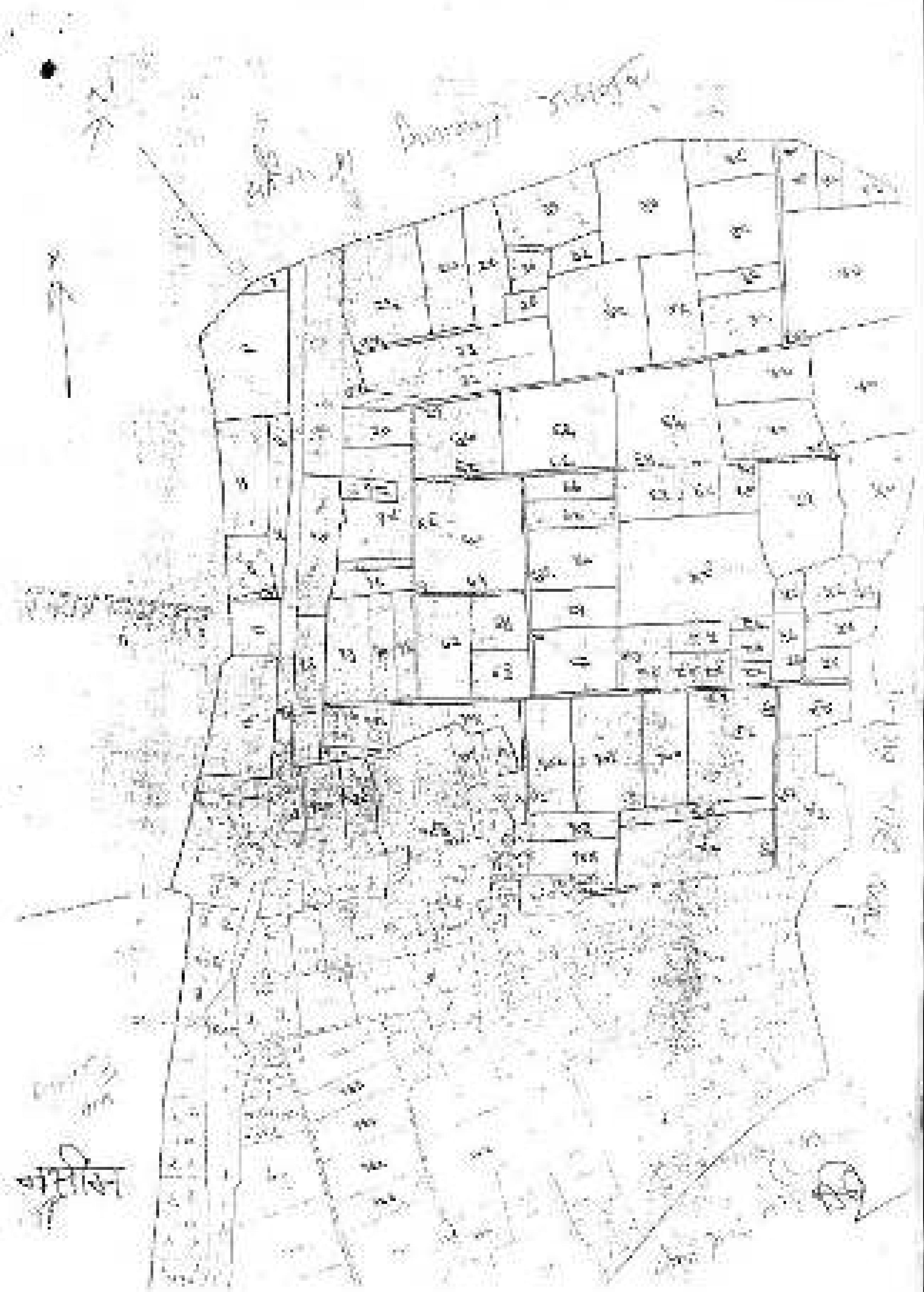

रजिस्ट्रेशन अधि0 1908 की धारा - 32 ए0 के अनुपालन हेतु,

फिंगर्स प्रिन्ट्स

प्रस्तुतकर्ता / विक्रेता नाम व पता :- [illegible]

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

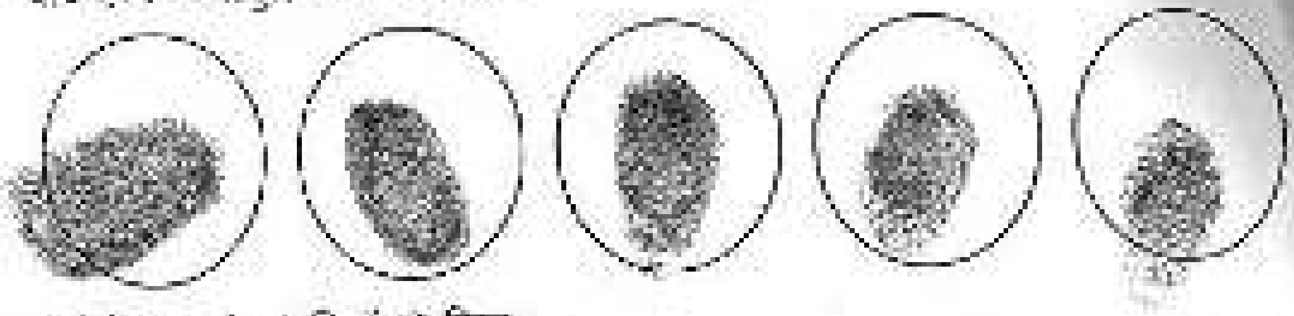

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

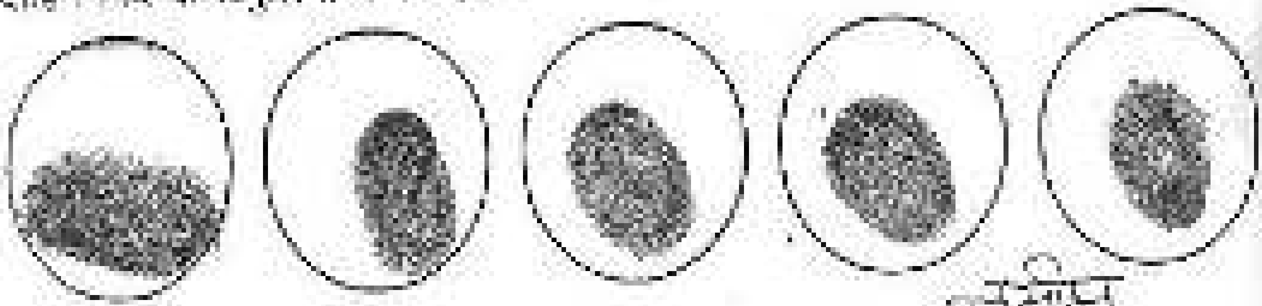

[illegible]

प्रस्तुतकर्ता / विक्रेता / क्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता / क्रेता नाम व पता – [illegible]

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

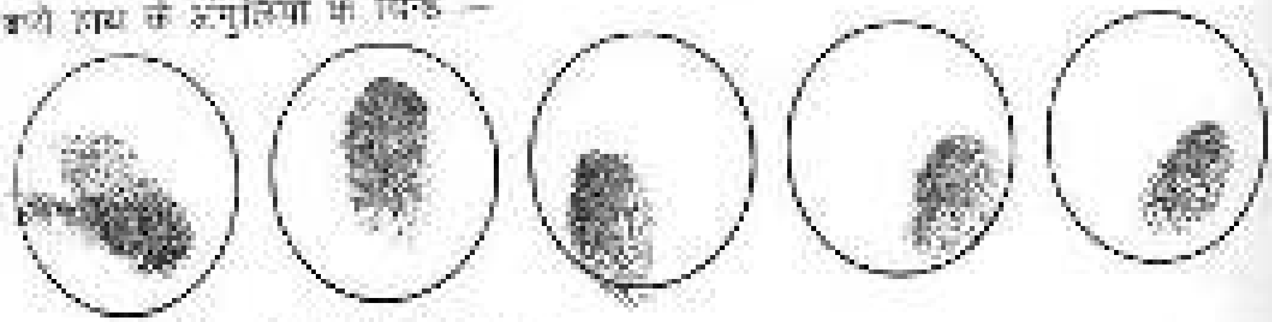

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

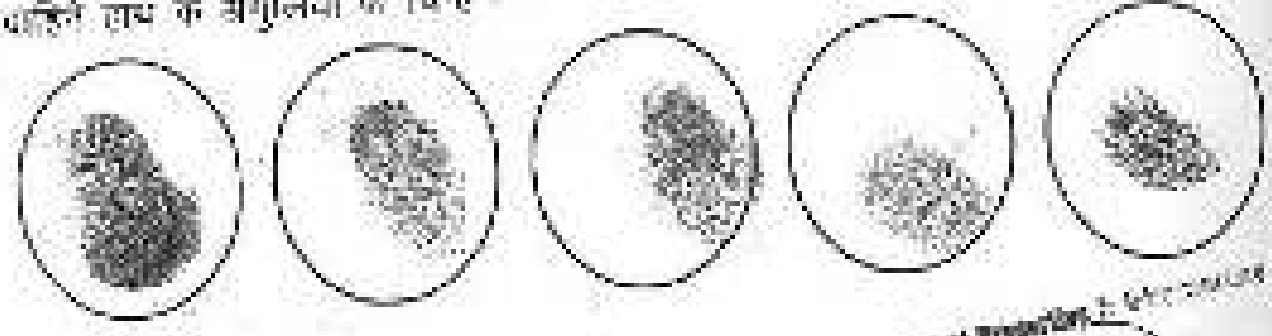

[illegible]

विक्रेता / क्रेता के हस्ताक्षर

आज दिनांक 17/06/2008 को

बही सं 1 जिल्द सं 9271

पृष्ठ सं 1 से 38 पर क्रमांक 2918

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

मनोज कुमार श्रीवास्तव

उप निबंधक (प्रथम)

लखनऊ

17/06/2008